प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.09.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ऑटो बरामद।

दिनांक 19.09.2025 को वादी श्री उमेश पुत्र उदल सिंह निवासी नवीन कुंज लोनी गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का ऑटो चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.बबलू पुत्र रणवीर निवासी 25 फुटा रोड थाना लोनी गाजियाबाद स्थाई पता रितोर थाना चोरिल्ला जिला इटावा उम्र करीब 25 वर्ष 2.विक्की पुत्र बालेशर निवासी न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी का 01 ऑटो बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने यह ऑटो लोनी के नवीनकुंज क्षेत्र से चोरी किया था जिसे हम बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.बबलू पुत्र रणवीर निवासी 25 फुटा रोड थाना लोनी गाजियाबाद स्थाई पता रितोर थाना चोरिल्ला जिला इटावा उम्र करीब 25 वर्ष।

2.विक्की पुत्र बालेशर निवासी न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष **बरामदगी का विवरण-**

कब्जे से चोरी का 01 ऑटो बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त वाहन चोरी के सम्बन्ध में एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.09.2025 को वादिया श्रीमति सुनीता देवी पत्नी संजय कुमार निवासी राजेन्द्र नगर गली न0-1 मोदीनगर गाजियबाद द्वारा लिखित तहरीर दी की वादिया के पति श्री संजय कुमार के साथ विपक्षी नरेश शर्मा द्वारा पैसों के लेनदेन को लेकर मारपीट कर गंभीररुप से घायल कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 110 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त नरेश शर्मा पुत्र नवाब शर्मा निवासी किदवईनगर सौंदा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि उसका पैसों के लेनदेन के सम्बन्ध में विवाद था जिसमें मेरी व पीडित की आपस में कहासुनी हो गयी थी उस दिन पीडित को अकेला पाकर मैंने उस पर हमला कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नरेश शर्मा पुत्र नवाब शर्मा निवासी किदवईनगर सौंदा रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना मसूरी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 20,000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गई।

साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र देवीसहाय निवासी आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 20000/- रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना मसूरी गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से श्री सुनील कुमार पुत्र देवीसहाय निवासी आकाश नगर थाना मसूरी गाजियाबाद के साथ 20000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक/मर्चेन्ट से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना मसूरी पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी साइबर सैल टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 20.09.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. सत्यम पुत्र पवन सिंह चौहान निवासी खेडा धर्मपुरा छपरौला गौतमबुद्धनगर मूल पता मौहल्ला घौसिया चौक आवला थाना आवला जिला बरेली उम्र कराब 26 वर्ष व 2. करन पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव विस्लौनी छपरौला गौतमबुद्धनगर मूलपता मौहल्ला धराम नगर ग्राम आवला थाना आवला जिला बरेली उम्र करीब 28 वर्ष को बीएनके ऑटोमोबाइल गेट पाईप मार्केट साहिबाबाद से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध पर धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद चोरी की मोटर साइकिल को थाना शालीमार गार्डन से 02 माह पहले चोरी किया था। दोनों अभियुक्त बरामद चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सत्यम पुत्र पवन सिंह चौहान निवासी खेडा धर्मपुरा छपरौला गौतमबुद्धनगर मूल पता मौहल्ला घौसिया चौक आवला थाना आवला जिला बरेली उम्र कराब 26 वर्ष।
2. करन पुत्र करनैल सिंह निवासी गांव विस्लौनी छपरौला गौतमबुद्धनगर मूलपता मौहल्ला धराम नगर ग्राम आवला थाना आवला जिला बरेली उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त सत्यम उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त करन उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लूट, आयुद्ध अधिनियम व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्त की निशानदेही से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 19/20.09.2025 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त राकेश उर्फ राजन उर्फ दतुआ उर्फ दत्तू पुत्र उदयप्रताप निवासी हाल सीमापुरी मस्जिद झुग्गी दिल्ली मूल पता ग्राम सागरा थाना नौतन जिला शिवान बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को रुप चौधरी कट सेक्टर 14 वसुन्धरा से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार व अभियक्त की निशानदेही पर एलीवेटिड के नीचे झाडियों से अन्य चोरी की हुई 02 मोटर साइकिल बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ राजन उर्फ दतुआ उर्फ दत्तू उपरोक्त के विरूद्ध पर धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ राजन उर्फ दतुआ उर्फ दत्तू उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद मोटर साइकिल को 5-6 दिन पहले शालीमार गार्डन से चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त इस बरामद चोरी की मोटर साइकिल को बेचने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में अभियुक्त उपरोक्त ने 6-7 दिन पहले वसुंधरा रेडलाइट के पास से तथा एक अन्य मोटर साइकिल कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी कर ग्रीन बैल्ट एलीवेटिड के नीचे झाडियों में छिपा कर रखा था। जिन्हें अभियुक्त की निशानदेही से बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राकेश उर्फ राजन उर्फ दतुआ उर्फ दत्तू पुत्र उदयप्रताप निवासी हाल सीमापुरी मस्जिद झुग्गी दिल्ली मूल पता ग्राम सागरा थाना नौतन जिला शिवान बिहार उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल व अभियुक्त की निशानदेही से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त राकेश उर्फ राजन उर्फ दतुआ उर्फ दत्तू पुत्र उदयप्रताप उपरोक्त के विरूद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी से सम्बंधित 02 अभियोग, थाना लिंकरोड पर चोरी/लूट, आर्म्स एक्ट, गैगंस्टर अधिनियम से सम्बंधित 07 अभियोग, थाना विजयनगर पर मारपीट से सम्बंधित 01 अभियोग तथा थाना शालीमार गार्डन पर आबकारी अधिनियम से सम्बंधित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 11 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/नगर द्वारा कार्यसरकार में लापरवाही बरतने वाले 02 पुलिसकर्मियों को निलम्बित किया गया।

1. आरक्षी तेजवीर सिंह नियुक्ति डॉयल 112 उक्त आरक्षी द्वारा ड्यूटी चार्ट में दिये गये स्थान पर खड़े ने होकर अपनी मर्जी से अन्य स्थान पर जाकर पीआरवी वाहन के साथ खड़े होने का आरोप संज्ञान में आये हैं जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/नगर द्वारा उक्त पुलिसकर्मी के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई है।

2. आरक्षी चालक सोनू शर्मा नियुक्ति डॉयल 112 उक्त आरक्षी द्वारा ड्यूटी चार्ट में दिये गये स्थान पर खड़े ने होकर अपनी मर्जी से अन्य स्थान पर जाकर पीआरवी वाहन के साथ खड़े होने का आरोप संज्ञान में आये हैं जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/नगर द्वारा उक्त पुलिसकर्मी के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गई है।

मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के निमित्त मिशन शक्ति फेज 5.0 के अन्तर्गत विशेष अभियान को लांच किया गया। जिसका सजीव प्रसारण कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों/शाखाओं एवं पुलिस लाइन्स में देखा गया।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज दिनांक 20.09.2025 को लोक भवन में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के निमित्त आगामी शारदीय नवरात्रि वर्ष 2025 में मिशन शक्ति फेज 5.0 के अन्तर्गत चलाए जाने वाले विशेष अभियान को लांच करते हुए प्रदेश के समस्त थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की शुरुआत की गई। यह महत्वाकांक्षी पहल महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समग्र सशक्तिकरण के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

वर्ष 2020 में महिला हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में स्थापित की गई थी, जो महिलाओं को तुरंत सहायता, मार्गदर्शन एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने में प्रभावी सिद्ध हुई। समय के साथ इनकी भूमिका का विस्तार किया गया है और अब इन्हें मिशन शक्ति केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि 360 डिग्री परामर्श, मार्गदर्शन और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का काम किया जाएगा। मिशन शक्ति केंद्र महिला को मानसिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल साबित होंगे।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मविश्वास भी शामिल है। मिशन शक्ति केंद्र इस दिशा में समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए युग की शुरुआत है, जहाँ सुरक्षा, सम्मान और अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे।

मिशन शक्ति केंद्र : उद्देश्य एवं विज़न

1. समग्र परामर्श एवं मार्गदर्शन-

• महिलाओं को कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

• सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना।

2. क्षमता निर्माण एवं सशक्तिकरण-

• आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यशालाएँ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।

• महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

3. सुरक्षित एवं सुलभ सहयोग व्यवस्था-

• चौबीसों घंटे सहायता उपलब्ध कराना।

• पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना।

4. समन्वित कार्यप्रणाली-

• पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के विभिन्न समूहों के साथ समन्वय।

• महिलाओं और कल्याणकारी संस्थानों के बीच सेतु की भूमिका निभाना।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की सहभागिता-

कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा इस अभियान को सफल बनाने हेतु सभी थानों एवं शाखाओं में विशेष तैयारियाँ की गई। उपरोक्त कार्यक्रम पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के समस्त थानों/शाखाओं/पिंकबूथ एवं पुलिस लाइन्स में सभी अधिकारिगणों/कर्मचारीगणों/गणमान्य व्यक्तियों/डीवीएफ वालंटियर्स एवं आम जनमानस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्यव्यापी शुभारंभ कार्यक्रम से सीधा जुड़ते हुए वर्चुअल माध्यम से देखा गया।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में महिला हेल्प डेस्क को मिशन शक्ति केंद्र में परिवर्तित करना महिलाओं और पुलिस के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा। साथ ही इस पहल को पूर्ण संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाएगा। जिससे प्रत्येक महिला को सम्मान, समय पर सहायता और स्थायी समाधान मिलेगा।

कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थानों/शाखाओं/पिंक बूथ केन्द्रों एवं पुलिस लाइन्स गाजियाबाद में समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, गणमान्य व्यक्तियों, डीवीएफ वालंटियर्स एवं आम जनमानस द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम को देखा गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रं.सं	जोन/शाखाएं	लाइव देखने वाले अधिकारी/कर्मचारी/व्यक्तियों की संख्या
1	नगर	451
2	ट्रांस हिण्डन	232
3	ग्रामीण	440
4	पुलिस लाइन्स	181

कमिश्नरेट गाजियाबाद	**1304**